सेवा मे,
माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

महोदय,

आल इण्डिया स्माल न्यूज़ पेपर्स एसोसिएशन, आइसना भारत देश का एकमात्र विशाल संगठन है जिसकी समितियां भारत के सभी प्रदेशों व उनके अधिकांश जिलों मे कार्यरत हैं, जिसे एसोसिएशन की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

मान्यवर, आपके संज्ञान मे लाना है कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिनांक 15 जून 2016 को डी.ए.वी.पी. की वेबसाइट पर बिना समाचार पत्र प्रकाशकों की सहमति के या सुझाव, विचार-विमर्श के विज्ञापन नीति 2016 को लागू कर दिया गया हम लघु-मध्यम समाचार पत्रों के प्रकाशक व प्रतिनिधि इस नीति का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। यह नियम सिर्फ चन्द बड़े समाचार पत्रों के इशारे पर लागू किया गया है ताकि पूरे देश से लघु -मध्यम समाचार पत्र समाप्त हो जायें।
पूर्व मे सर्वोच्च न्यायालय ने भी समाचार पत्रों के विज्ञापनों पर रोक को गलत माना था तब इस प्रकार के गलत नि यम बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी जिसमे लघु-मध्यम समाचार पत्रों को विज्ञापन न देकर समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। डी.ए.वी.पी. की वेबसाइट पर डाली गयी नई विज्ञापन नीति 2016 मे जो बिदू दिये गये हैं उनका क्रमवार हम संपूर्ण देश के सभी लघु-मध्यम समाचार पत्र पुरजोर विरोध करते हैं-

1. जिस समाचार पत्र की ग्राहक संख्या 25001 से उपर है उन्हे आर.एन.आई./ए.बी.सी. द्वारा सर्कुलेशन प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा-

महोदय, इस संदर्भ मे अवगत कराना है कि किसी भी समाचार पत्र की आर.एन.आई.द्वारा प्रसार जांच मे अच्छा-खासा समय लगता था जबकि वर्तमान मे आर.एन.आई. ने कर्मचारियों की संख्या की कमी का हवाला देते हुये प्रसार जांच मे अपनी असमर्थता जताई है तो ऐसे मे हम प्रसार जांच कहां से करायें।

2. समाचार पत्रों को समाचार हेतु वायर सर्विस के लिए पी.टी.आई./यू.एन.आई. या हिन्दुस्तान समाचार की ही सेवा लेने सम्बंधी प्रमाण मांगा गया है-

महोदय, इस संदर्भ मे अवगत कराना है कि लगभग सभी राज्यों मे सरकारों द्वारा समाचार पत्रों की ई -मेल पर निःशुल्क समाचार भेजे जाते हैं तथा केन्द्र सरकार के पत्र सूचना शाखा द्वारा भी निःशुल्क समाचार सेवायें दी जाती हैं इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय समाचार एजेंसियां भी बड़े पैमाने पर कार्यरत हैं जो उपरोक्त एजेंसियों से कम दर पर समाचार सेवाये दे रही हैं इनमे से एक हिन्दुस्तान समाचार का कार्यालय केवल हिन्दीभाषी प्रदेशों की राजधानीयों को छोड़कर कही नही हैं तथा न ही यह एजें सी यदुभाषी है, यह संस्था उत्तराखण्ड मे काली सूची मे भी है अतः हम इनकी सेवायें लेने को बाध्य नही है।

3. प्रेस काउंसिल की वार्षिक शुल्क की अनिवार्यता-

महोदय, इस संदर्भ मे अवगत कराना है कि जब समाचार पत्रों का पंजीकरण आर.एन.आई. मे होता है तथा डी.ए.वी.पी. मे सूचीबद्धता होती है तो इस प्रकार की कोई बाध्यता की शर्त प्रकाशकों पर नही रखी जाती फिर इस प्रकार के तुगलकी फरमान की क्या आवश्यकता है। अतः भारत देश के सभी लघु -मध्यम समाचार पत्र प्रकाशक इस शर्त का घोर विरोध करते हैं।

4. समाचार पत्र मे कार्यरत कर्मचारियों का पी.एफ. एकाउन्ट है , उनका नम्बर देने को कहा है-

महोदय, इस संदर्भ मे अवगत कराना है कि लघु-मध्यम समाचार पत्रों मे इतना स्टाफ ही नही होता कि वो पी.एफ. यानिकी भविष्य निधि नियम मे आये तो इस प्रकार की बाध्यता का हम लघु-मध्यम समाचार पत्र प्रकाशक विरोध करते हैं।

5. समाचार पत्रों के पास अपने प्रींिटग प्रेस की बाध्यता-

महोदय, इस संदर्भ मे अवगत कराना है कि हम लघु-मध्यम समाचार पत्रों के प्रकाशक जिनको न तो कामर्शियल दर पर विज्ञापनों की बाढ़ है और न ही हमने कोई विदेशी गठबंधन किया हुआ है जहां से हमे कोई धनराशि मिलती हो जिससे हम अपनी प्रींटिग यूनिट लगा सकें क्योंकि एक प्रींटिग यूनिट मे कम से कम डेढ़ करोड़ का व्यय आता है , कोई भी बैंक हमे लोन नही देती है यदि डी.ए.वी.पी. या सूचना प्रसारण मंत्रालय हमे बैंकों द्वारा आसान दरों पर लोन उपलब्ध कराये तथा बैकों द्वारा 5 लाख तक ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मुहैय्या कराये तो हम मशीन लगाने को तैयार है अन्यथा हम लघु-मध्यम समाचार पत्र प्रकाशक इसका भी विरोध करते हैं।
इसके अतिरिक्त डी.ए.वी.पी. की इस एडवाइजरी के माध्यम से बताया गया है कि समाचार पत्र जिसके लिए अभी तक डी.ए.वी.पी. पैनल मे आने के लिए 18 माह पुराना होने की अनिवार्यता थी जिसे बढ़ाकर 36 माह कर दिया गया है जबकि बड़े समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या एक लाख से उपर हो उनके लिए समय सीमा घटाकर एक वर्ष कर दी गई है। यह भी हम लघु-मध्यम समाचार पत्र प्रकाशकों को मान्य नही है इस नियम को भी पूर्व की भांति ही रखना चाहिए।
ज्ञात हो कि यही लघु-मध्यम समाचार पत्र भारत सरकार की ग्राम विकास योजनाओं को प्रकाशित कर शहरों के साथ -साथ सुदूर गांवों तक पहुंचाते हैं और इन समाचार पत्रों मे 90 प्रतिशत समाचार होता है और केवल 10 प्रतिशत मे विज्ञापन व अन्य सामाजिक समाचार प्रकाशित होते हैं इसीके विपरीत बड़े शहरी समाचार पत्रों मे 80 प्रतिशत विज्ञापन व 10 प्रतिशत फिल्म व खेलकूद और 5 प्रतिशत राज्य सरकार के समाचार तथा केवल 5 प्रतिशत भारत सरकार के समाचार होते हैं। साथ ही यह भी बताना चाहूंगा कि डी.ए.वी.पी. द्वारा 5 प्रतिशत समाचार प्रकाशित करने वाले बड़े शहरी पूंजीपति समाचार पत्रों को पोषित करना और 90 प्रतिशत समाचार प्रकाशित करने वाले लघु-मध्यम समाचार पत्रों को शोषित करके सीधा आपकी सरकार को अपदस्थ करने की साजिश है क्योंकि लघु -मध्यम समाचार पत्र शहरों के साथ-साथ ग्रामीण स्तर तक समाचारों के माध्यम से सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के साथ उनकी समस्याओं को भी प्रकाशित कर शासन - प्रशासन को अवगत कराते हैं और आपका वोट बैंक भी ग्रामीण स्तर से जुड़ा हुआ है जबकि शहरी वोट बैंक सभी राजनीतिक पार्टियों मे बंटा हुआ है , इस सम्बंध मे आप स्वयं विचार करें।

महोदय, कृप्या हम लघु-मध्यम समाचार पत्र प्रकाशकों के विरोध को संज्ञान मे लेते हुये डी.ए.वी.पी. की नई विज्ञापन नीति को निष्क्रिय करने का कष्ट करें ता कि आपके मेक इन इण्डिया कार्यक्रम को मूर्तरूप मिल सके क्योंकि लघु-मध्यम समाचार पत्र ही मेक इन इण्डिया के नारे को सफल करते हैं न कि एफ.डी.आई. के माध्यम से बढ़ रहे बड़े केवल शहरों तक सीमित पूंजीपति मुट्ठीभर समाचार पत्र के घराने।

अन्त मे हम यह भी बताना चाहेंगे कि यदि एक सप्ताह के अंदर डी.ए.वी.पी. की उक्त नीति को निरस्त नही किया जाता है तो डी.ए.वी.पी. की नई नीति-2016 से आक्रोशित भारत देश के समस्त लघु-मध्यम समाचार पत्रों के प्रकाशक व प्रतिनिधि केन्द्र सरकार के समाचारों का बहिष्कार करते हुये धरना प्रदर्शन व घेराव करने को मजबू र होंगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होगी।

सादर।

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. मा. श्री राजनाथ सिह जी, गृहमंत्री, भारत सरकार।
2. सूचना मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
3. प्रमुख सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार।

भवदीय

शिव शंकर त्रिपाठी

राष्ट्रीय अध्यक्ष